"न्यिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 249] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 19 अगस्त 2011—श्रावण 28, शक 1933

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ -59-दो गृह/रापुसे/2011.—छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011 की धारा 15 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल में भर्ती, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते, सेवा की शर्तें, आचरण इत्यादि के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

नियम

1. **संक्षिप्त नाम विस्तार तथा प्रारंभ.**— (1) ये नियम छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल (भर्ती, प्रशिक्षण, पारिश्रमिक एवं अन्य भत्ते, सेवा की शर्तें, आचरण एवं नियंत्रण) नियम, 2011 कहलायेंगे ।

   (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा ।

   (3) ये राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.** - (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

   (क) बल के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक;

   (ख) "बल" से अभिप्रेत है, अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन गठित छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल;

   (ग) "स्थानीय निवासी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित स्थानीय निवासी की परिभाषा के अन्तर्गत आने वाले व्यक्ति;

(घ) "बल के सदस्य" से अभिप्रेत है, अध्यादेश के प्रावधानों के अधीन छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल के सदस्य के रूप में नियुक्त व्यक्ति;

(ङ) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011 (क्र. 3 सन् 2011);

(च) "अन्य पिछड़ा वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना क्रमांक एफ. 8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथाविनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;

(छ) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(ज) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथाविनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(झ) "विशेष पुलिस अधिकारी" से अभिप्रेत है, पुलिस अधिनियम, 1861 की धारा 17 के अंतर्गत अथवा छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 9 के अन्तर्गत विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में नियुक्त व्यक्ति ।

(2) शब्द एवं अभिव्यक्ति जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं किन्तु विशेष तौर पर परिभाषित नहीं हैं, उनका वही अर्थ होगा जो छत्तीसगढ़ पुलिस अधिनियम, 2007 (क्र. 13 सन् 2007) एवं छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अध्यादेश, 2011 (क्र. 3 सन् 2011) के अधीन परिभाषित हैं।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**—ये नियम बल के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **बल का गठन.**—अध्यादेश के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त किये गये व्यक्तियों को समाविष्ट करते हुए, बल का गठन किया जायेगा। बल के सदस्यों की संख्या, राज्य शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जायेगी। बल का प्रत्येक सदस्य सहायक आरक्षक के नाम से जाना जायेगा।

5. **पारिश्रमिक इत्यादि.**—अध्यादेश की धारा 9 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत बल के सदस्यों को राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी आदेश द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक देय होगा:

परन्तु, यह 3500 रुपये (तीन हजार पांच सौ रुपये) प्रतिमाह से कम नहीं होगा।

परन्तु यह भी, कि अध्यादेश की धारा 9 की उप-धारा (1) के प्रावधानों के अनुसार उन्हें उपर्युक्त पारिश्रमिक के आधार पर महंगाई भत्ता तथा विशेष नक्सल क्षेत्र भत्ता उसी दर पर देय होगा जो कि संबंधित जिले के पुलिस कार्यपालक बल आरक्षक (जीडी) को तत्समय अनुज्ञेय हो। अन्य दूसरे भत्ते भी जो राज्य शासन द्वारा समय समय पर आदेशित किये जायें, बल के सदस्यों को दिये जा सकते हैं।

6. **नियुक्ति की प्रक्रिया.**—किसी व्यक्ति को निम्नलिखित प्रावधानों के अन्तर्गत चयन एवं छानबीन द्वारा बल के सदस्य के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा :—

(क) अध्यादेश की धारा 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत चयन द्वारा;

(ख) अध्यादेश की धारा 11 के प्रावधानों के अन्तर्गत छानबीन द्वारा।

7. **चयन समिति.**—(1) अध्यादेश की धारा 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्ति हेतु, संबंधित रेंज के पुलिस महानिरीक्षक द्वारा निम्नानुसार एक चयन समिति का गठन किया जायेगा:

(क)	संबंधित पुलिस जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक	—	अध्यक्ष
(ख)	उप पुलिस अधीक्षक से अनिम्न स्तर का एक अधिकारी	—	सदस्य
(ग)	सहायक सेनानी से अनिम्न स्तर का एक अधिकारी	—	सदस्य

परंतु, कम से कम एक सदस्य छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल से होगा।

परंतु यह भी, कि चयन समिति का कम से कम एक सदस्य अनुसूचित जनजाति का होगा।

संबंधित पुलिस जिले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक/उप पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी उपलब्ध न होने पर, किसी अन्य इकाई से समकक्ष स्तर के एक अधिकारी को समिति में नियुक्त किया जा सकेगा।

पुलिस महानिरीक्षक रेंज लिखित में आदेश द्वारा, कारण दर्शाते हुए, पूर्वोक्त समिति से भिन्न एक चयन समिति गठित कर सकेगा, जिसमें पूर्वोक्त समिति के अधिकारियों से भिन्न, समान पद के अधिकारियों, को नामांकित किया जा सकेगा।

(2) (क) **चयन हेतु अर्हता.**— (1) अभ्यर्थी को संबंधित जिले का स्थानीय निवासी होना चाहिये ;
(2) अभ्यर्थी को आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कक्षा पांचवी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिये ;
(3) अभ्यर्थी की आयु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि को 18 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये ;
(4) अभ्यर्थी को स्थानीय क्षेत्र, भूदृश्य (स्थलाकृति) एवं स्थानीय भाषा/बोली का जानकार होना चाहिये ;
(5) अभ्यर्थी का आचरण अच्छा होना चाहिये ।

(ख) **चयन हेतु अनर्हता.**— अभ्यर्थी चयन प्रकिया में शामिल होने के लिए अपात्र होगा— (1) यदि वह किसी अपराध के लिये दोष सिद्ध किया गया हो या उसके विरूद्ध किसी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाहियां संस्थित हों ;
(2) यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध मानव अधिकार के उल्लंघन का आरोप प्रमाणित पाया गया हो;
(3) यदि अभ्यर्थी के एक से ज्यादा जीवित पत्नी/पति हो ;
(4) ऐसे अभ्यर्थी जो छत्तीसगढ़ शासन/केन्द्र सरकार के कर्मचारी रह चुके हों और शासकीय सेवा के अयोग्य घोषित किये गये हों ।

(ग) **शारीरिक अर्हता.**— बल में नियुक्ति हेतु ऐसे अभ्यर्थी ही पात्र होंगे जो संबंधित जिले में पुलिस कार्यपालक आरक्षक (जीडी) के रूप में नियुक्ति हेतु यथा निर्धारित शारीरिक अर्हता रखते हों।

(घ) **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा.**— परीक्षा में प्रवेश के संबंध में किसी अभ्यर्थी/आवेदक की पात्रता या अपात्रता के संबंध में चयन समिति का निर्णय अंतिम होगा । किसी भी अभ्यर्थी/आवेदक को जिसे समिति द्वारा प्रवेश प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा (टेस्ट) में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

8. **चयन की प्रकिया.**— (1) **विज्ञापन एवं आवेदन पत्र**— बल में रिक्तियों पर ध्यान रखते हुए, बल में जिलेवार चयन के लिये पुलिस मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रारूप में विज्ञापन जारी किया जायेगा। विज्ञापन में दिये गये आवेदन पत्र के निर्धारित प्रारूप अनुसार अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन, संबंधित जिले के पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। आवेदन पत्र में गलत जानकारी देना या किसी आवश्यक जानकारी को छिपाना, बल में चयन हेतु या बल में बने रहने के लिये उसे अपात्र बनायेगा।

(2) **आवेदन पत्रों की जॉच**— निर्धारित तिथि तक प्राप्त आवेदन पत्रों की जॉच चयन समिति द्वारा की जायेगी।

(3) **शारीरिक माप** — नियम 7 के उप—नियम (2) के खण्ड (ग) के प्रावधानों के अधीन अभ्यर्थियों का शारीरिक माप, चयन समिति द्वारा किया जायेगा। चयन समिति के अध्यक्ष, इस प्रयोजन हेतु जिला पुलिस एवं छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के अधिकारियों को समाविष्ट करते हुए उप समितियां बना सकेंगे, किन्तु रिकार्ड इत्यादि के मूल्यांकन, संधारण के लिये समितियां पूर्णतः जिम्मेदार होंगी।

(4) **शारीरिक दक्षता परीक्षा**— (क) शारीरिक दक्षता परीक्षा (टेस्ट) सभी अभ्यर्थियों के लिये अनिवार्य होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदण्ड वैसा ही होगा जैसा कि छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक बल, आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 के प्रावधानों के अन्तर्गत संबंधित जिले में पुलिस कार्यपालक आरक्षक (जीडी) को लागू है।

(ख) शारीरिक दक्षता परीक्षा में पात्र पाये गये पुरूष तथा महिला अभ्यर्थियों को कमशः 15 किलोमीटर की दौड़/चाल तथा 8 किलोमीटर की दौड़/चाल दो घंटे में पूर्ण करना आवश्यक होगा, तभी वे साक्षात्कार के लिये अर्ह माने जायेंगे। इस टेस्ट के लिए पृथक से अंक निर्धारित नहीं किये जायेंगे।

(5) **साक्षात्कार**— चयन समिति द्वारा पूर्वोक्त शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं दौड़/चाल में सफल हुये अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। साक्षात्कार में स्थानीय क्षेत्र, भूदृश्य (स्थलाकृति), स्थानीय भाषा/बोली इत्यादि के जानकार को प्राथमिकता दी जायेगी। साक्षात्कार 15 अंकों का होगा।

9. **चयन सूची.**— शारीरिक प्रवीणता टेस्ट (100 अंक) एवं साक्षात्कार (15 अंक) के आधार पर चयन सूची तैयार की जायेगी । चयन सूची तैयार करते समय, जिला कार्यपालक आरक्षक (जीडी) के पद पर भर्ती हेतु अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों/अन्य पिछड़े वर्गों एवं महिलाओं को लागू आरक्षण नियमों का अनुसरण किया जायेगा।

10. **चयन सूची का अनुमोदन.**– समिति द्वारा तैयार की गई चयन सूची, समस्त अभिलेख/दस्तावेजों के साथ नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी, समिति से प्राप्त अन्य दस्तावेजों के साथ समिति द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा एवं यदि उसमें कोई परिवर्तन आवश्यक न समझे तो सूची को अनुमोदित करेगा। नियुक्ति प्राधिकारी, कारणों का उल्लेख करते हुये लिखित में आदेश द्वारा चयन सूची को निरस्त कर सकेगा, चयन सूची के निरस्तीकरण संबंधी सूचना, पुलिस मुख्यालय को अनिवार्यतः संसूचित की जाएगी।

11. **चयन सूची से बल में नियुक्ति.**– भर्ती के लिये अंतिम प्रावीण्य सूची, शारीरिक दक्षता परीक्षा एवं साक्षात्कार में अभिप्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जायेगी। पदों की उपलब्धता के अध्यधीन रहते हुए, प्रावीण्य सूची से नियुक्ति की जायेगी।

नियुक्ति आदेश जारी करने के पूर्व अभ्यर्थियों का चरित्र सत्यापन एवं स्वास्थ्य परीक्षण कराया जायेगा। कोई भी नियुक्ति आदेश यह निश्चित होने पर ही जारी किया जाएगा कि चरित्र सत्यापन में कोई विपरीत टीप नहीं हैं और अभ्यर्थी निर्धारित मापदण्ड के अनुसार चिकित्सीय आधार पर स्वस्थ है। सफल हुए अभ्यर्थियों को नियुक्ति प्रमाण पत्र, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा जारी किया जायेगा, जिसे बल का सदस्य नही रह जाने पर, वह इकाई प्रमुख को तत्काल वापस कर देगा।

12. **छानबीन द्वारा नियुक्ति.**– (1) अध्यादेश की धारा 11 की उप–धारा (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत बल के सदस्य माने गये व्यक्तियों की छानबीन के प्रयोजन के लिये, अध्यादेश की धारा 11 की उप–धारा (2) के प्रावधान के अनुसार एक छानबीन समिति गठित की जायेगी ।

(2) छानबीन समिति, विशेष पुलिस अधिकारियों की उपयुक्तता के निर्धारण के प्रयोजन के लिये उनके प्रकरणों की जांच के समय, अन्य विषयों के साथ–साथ, निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर छानबीन करेगी :–

(क) नियम 7 के उप–नियम (2) के खण्ड (क) के अन्तर्गत पात्रता मापदण्डः

परन्तु, बल का सदस्य माना गया कोई भी व्यक्ति यदि विहित शैक्षणिक अर्हता, अर्थात् पांचवी कक्षा स्कूल प्रमाणपत्र, धारण न करता हो तो उसे अध्यादेश की धारा 8 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण अवधि के दौरान विशेष रूप से तैयार पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रारंभिक शिक्षा प्रदान की जाएगी ;

(ख) नियम 7 के उप–नियम (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट अपात्रता मापदण्ड;

(ग) नियम 7 के उप–नियम (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत विनिर्दिष्ट शारीरिक अर्हतायें तथा नियम 8 के उप–नियम (4) के खण्ड (क) एवं (ख) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल होना ;

(घ) बल का सदस्य बने रहने के लिए संबंधित व्यक्ति का सहमति पत्र।

(3) छानबीन समिति, उन व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण एवं चरित्र सत्यापन कराएगी जो नियम 12 के उप–नियम (2) के खण्ड (क) से (घ) में उल्लिखित अपेक्षाओं को पूरा करते हों। छानबीन समिति, उनकी वरिष्ठता के क्रम में बल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के योग्य पाये गये व्यक्तियों की एक सूची बनायेगी। विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में दी गई सेवाओं की कुल अवधि के आधार पर वरिष्ठता निर्धारित की जायेगी।

(4) छानबीन समिति द्वारा तैयार की गई सूची,-नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित की जायेगी। नियुक्ति प्राधिकारी सूची में से उसी कम से नियुक्तियां करेंगे जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(5) छानबीन के पश्चात् नियुक्त व्यक्ति को नियुक्ति आदेश/प्रमाण पत्र जारी किया जायेगा जिसमें स्पष्ट रूप से यह उल्लेख होगा कि उसकी नियुक्ति इन नियमों के सुसंगत प्रावधानों के अधीन की गई है।

13. प्रशिक्षण.— (1) अध्यादेश के प्रावधानों के अन्तर्गत नियुक्त बल के सदस्य को छः माह का प्रशिक्षण दिया जायेगा, जिसमें व्यावहारिक प्रशिक्षण भी सम्मिलित रहेगा। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में, सामान्यतः, निम्नलिखित विषयों को सम्मिलित किया जायेगाः—

(क) भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं;
(ख) मौलिक अधिकारों का सामान्य परिचय;
(ग) व्यक्तिगत रूप में, सामूहिक रूप में, और भीड़ में मानव व्यवहार की सामान्य समझ एवं जनता के प्रति पुलिस का व्यवहार;
(घ) पुलिस के लिए आचरण संहिता;
(ङ) सामुदायिक पोलिसिंग;
(च) मानव अधिकारों का मूलभूत ज्ञान;
(छ) आपराधिक विधि एवं प्रकिया का मूलभूत ज्ञान ;
(ज) सूचना/आसूचना संकलन;
(झ) सामान्य सौजन्य, निष्पक्षता और निष्ठा के महत्व पर बल देने के चुनिन्दा मामलों का अध्ययन;
(ञ) अति महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों की सुरक्षा संबंधी निर्देशों की जानकारी;
(ट) अभियान के दौरान दल (समूह) के सदस्य के रूप में भूमिका;
(ठ) मानचित्र अध्ययन;
(ड) आयुध प्रशिक्षण — विशेष रूप से एस.एल.आर., इन्सास एवं एल.एम.जी. संबंधी प्रशिक्षण, (विभिन्न वर्गों के आयुध प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम, छत्तीसगढ़ मस्केटरी रेग्यूलेशन के अनुसार होगा);

(ढ) आग की रोकथाम एवं नियंत्रण;
(ण) प्राकृतिक या मानवजनित आपदा के दौरान राहत कार्य;
(त) निःशस्त्र मुकाबला;
(थ) प्राथमिक चिकित्सा सहायता ;
(द) फील्ड–क्राफ्ट एवं टैक्टिक्स (रणनीति)।

(2) ऐसे अन्य विषय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में शामिल किये जा सकेंगे जो कि प्रशिक्षण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, पुलिस मुख्यालय द्वारा समय–समय पर विनिश्चित किये जायें।

(3) प्रशिक्षण अवधि के दौरान, नियम 12 के उप–नियम (2) के खण्ड (क) के परन्तुक में यथा उल्लिखित, प्रारंभिक शिक्षा बल के संबंधित सदस्यों को प्रदान की जायेगी।

(4) यदि बल के किसी सदस्य द्वारा विशेष पुलिस अधिकारी के रूप में विहित प्रशिक्षण प्राप्त किया गया हो, तो ऐसे पूर्व प्रशिक्षण की अवधि, इन नियमों के अधीन विहित प्रशिक्षण अवधि में समाहित हो जायेगी।

(5) निर्धारित प्रशिक्षण, विनिर्दिष्ट प्रशिक्षण संस्थाओं तथा अन्य ईकाईयों में नियुक्ति के पश्चात् दिया जायेगा। प्रशिक्षण में असफल रहने तथा समय–समय पर यथा निर्धारित प्रशिक्षण उद्देश्यों को पूरा करने में असमर्थ होने की स्थिति में, प्रशिक्षण कालावधि बढ़ाई जा सकेगी या उसे बल से सेवोन्मुक्त किया जा सकेगा।

14. **पदस्थापना एवं नियंत्रण.**– बल के सदस्य, थाने/चौकी अथवा पुलिस लाईन अथवा सुरक्षा कैम्प में पदस्थ किये जा सकेंगे तथा वे ऐसे अधिकारियों की कमाण्ड (निर्देशन) एवं नियंत्रण में कार्य करेंगे जिन्हें पुलिस अधीक्षक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

15. **वर्दी एवं साजसज्जा.**– बल के सदस्य ऐसी वर्दी तथा साजसज्जा धारण करेंगे जैसा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

16. **सेवा की सामान्य शर्तें.**– बल का प्रत्येक सदस्य–

(1) बल को अपना पूरा समय देगा। वह किसी भी व्यापार या व्यवसाय में भाग नहीं लेगा;

(2) बल के सदस्य के रूप में अपने समस्त कर्तव्यों को पूरा करने के लिये वह निष्ठापूर्वक एवं ईमानदारीपूर्वक अपने सर्वोत्तम सामर्थ्य का उपयोग करेगा;

(3) अपने कर्त्तव्य से संबंधित सभी नीतियों, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों की जानकारी रखेगा और उनका पालन करेगा तथा सभी विधिसम्मत आदेशों का एवं जिसे भी निर्देश देने का अधिकार है, के युक्तियुक्त निर्देशों का पालन करगा तथा नीतियों, विनियमों एवं सभी नियमों के प्रावधानों के पालन के लिए आबद्ध होगा जो बल की बेहतर व्यवस्था के लिये समय–समय पर बनाये जायेंगे;

(4) जहाँ कहीं भी उसे निवास करने एवं सेवा करने के लिये निर्देशित किया जाये वहाँ वह निवास करेगा एवं सेवा करेगा;

(5) कर्तव्य पर होने या कर्तव्य पर न होने दोनो ही स्थिति में कर्म एवं वचन से आत्म–अनुशासन का व्यवहार करेगा तथा वरिष्ठजनों को सम्मान देगा, जनता (लोगों) से एवं सहकर्मियों से सौजन्यता का व्यवहार करेगा;

(6) जब सेवारत हो (ड्यूटी में हो) ऐसी वर्दी एवं साजसज्जा धारण करेगा जैसी की समय–समय पर बल के प्रत्येक सदस्य के लिये विहित की जाये और अपने स्वरूप में हमेशा स्वच्छ एवं साफ रहेगा। बल का कोई भी सदस्य अंशतः वर्दी में एवं अंशतः मुफ्ती में नहीं दिखना चाहिये;

(7) वह लिखित में विशेष अनुमति के बिना या (ऐसी अनुमति के अभाव में) ऐसा करने के अपने विचार की दो माह की पूर्व सूचना दिये बिना, बल नहीं छोड़ेगा।

(8) वह पुलिस अधीक्षक की स्वीकृति के बिना, किसी भी अवसर पर या किसी भी बहाने से, परोक्ष या अपरोक्ष रूप से किसी व्यक्ति से कोई उपहार, ईनाम या फीस नहीं लेगा या प्राप्त नहीं करेगा।

(9) समुदाय के प्रत्येक सदस्य के अधिकारों को बनाए रखने एवं उनके सम्मान के लिए, जाति, सामाजिक स्थिति या धर्म की परवाह किये बिना, हर संभव प्रयास करेगा एवं अपने पदीय कर्तव्यों का निर्वहन करेगा तथा अपने निजी कार्य को इस रीति में व्यवस्थित करेगा कि बल के सदस्य की ईमानदारी, अखंडता, वस्तुनिष्ठता एवं निष्पक्षता में लोक विश्वास एवं आस्था संरक्षित एवं बनी रहे;

(10) बल में न रह जाने पर, वह तत्काल सभी किट एवं साजसज्जा (accoutrements) को वापस करेगा एवं उसे आबंटित आवास को रिक्त करेगा ।

17. कदाचरण.– (1) सेवा की सामान्य शर्तों का उल्लंघन करना;

(2) नियंत्रणकर्ता/पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारियों के विधिसम्मत आदेशों/निर्देशों की जानबूझकर अवहेलना करना;

(3) कोई भी ऐसा कार्य करना जिसे पुलिस महानिदेशक द्वारा बल के सदस्य के लिये लिखित आदेश द्वारा कदाचरण मान्य किया गया हो।

18. विभागीय दण्ड.– यदि बल के किसी सदस्य को नियम 17 के तहत कदाचरण का दोषी पाया जाता है, तो पुलिस अधीक्षक, ऐसे सदस्य को सुनवाई का पर्याप्त अवसर देने एवं कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, बल से उसे सेवोन्मुक्त कर सकेगा।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, बल के सदस्य, ऐसे अन्य विभागीय दण्ड के लिये दायी होंगे जैसा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा, लिखित में आदेश द्वारा विहित किया जाए।

19. सेवा समाप्ति/दण्ड के विरूद्ध अभ्यावेदन.– नियम 18 के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, बल का कोई भी सदस्य, सेवा की समाप्ति या दण्ड अधिरोपित किये जाने के आदेश के विरूद्ध, अध्यादेश की धारा 10 की उप–धारा (3) के अनुसार, ऐसे आदेश के 30 दिवस के भीतर रेंज पुलिस महानिरीक्षक को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा। रेंज पुलिस महानिरीक्षक 60 दिवस की कालावधि के भीतर अभ्यावेदन पर विचार करेगा तथा दिये गये अभ्यावेदन पर यथोचित आदेश पारित करेगा।

20. **सेवा पुस्तिका का संधारण**.– बल के प्रत्येक सदस्य की सेवा पुस्तिका का संधारण पुलिस अधीक्षक के कार्यालय में किया जायेगा । पुलिस अधीक्षक, सेवा पुस्तिका अभिलेख उसी रीति में संधारित करेगा जैसा कि जिले के पुलिस आरक्षक के संबंध में लागू हो।

21. **ईनाम एवं अवकाश**.– ईनाम के लिए मापदण्ड एवं ईनाम के प्रकार तथा अवकाश इत्यादि ऐसे होंगे जैसा कि पुलिस महानिदेशक द्वारा निर्धारित किया जाए।

22. **छत्तीसगढ़ जिला पुलिस/छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में नियुक्ति**.– बल के सदस्य जिला पुलिस बल/छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल में कार्यपालक आरक्षक (जीडी) के पदों पर उपलब्ध रिक्तियों के अनुसार, छत्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालक बल, आरक्षक (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2007 तथा छत्तीसगढ़ सशस्त्र कार्यपालक बल (छ0स0बल) आरक्षक (सामान्य ड्यूटी) एवं आरक्षक ट्रेड (कुशल/अकुशल) (भर्ती तथा सेवा की शर्तें) नियम, 2008 के प्रावधानों के अनुसार नियुक्ति के लिये पात्र होंगे।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप सचिव.

रायपुर, दिनांक 19 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 2-59/दो गृह/रापुसे/2011.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 19-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विलियम कुजूर, उप सचिव.

Raipur, the 19th August 2011

NOTIFICATION

No. F 2-59/2-Home/SPS/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 15 of the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force, Ordinance, 2011, the State Government, hereby makes the following rules relating to the recruitment, training, remuneration and other allowances, conditions of service, conduct etc. for the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force, namely :—

RULES

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) These rules may be called the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force (Recruitment, Training, Remuneration and Other Allowances, Conditions of Service, Conduct and Control) Rules, 2011.

   (2) It extends to the whole State of Chhattisgarh.

   (3) It shall come into force with effect from the date of its publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**- (1) In these Rules, unless the context otherwise requires,-

   (a) "Appointing Authority" in respect of the force means the Superintendent of Police of the district concerned;

   (b) "Force" means the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force constituted under the provisions of the Ordinance;

   (c) "Local Resident" means the individual defined under definition of local resident declared by the State Government from time to time;

   (d) "Member of the Force" means a person appointed as member of the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force under the provisions of the Ordinance;

   (e) "Ordinance" means the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force, Ordinance, 2011 (No. 3 of 2011);

   (f) "Other Backward Classes" means the Other Backward Classes of citizens as specified by the State Government vide Notification No.F.8-5-XXV-4-84, dated 26th December, 1984 as amended from time to time;

   (g) "Scheduled Castes" means the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India;

   (h) "Scheduled Tribes" means the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the Constitution of India;

   (i) "Special Police Officer" means a person appointed as Special Police Officer under Section 17 of the Indian Police Act, 1861 or under Section 9 of the Chhattisgarh Police Act, 2007.

(2) Words and expression used in these rules but not defined specifically shall have the same meaning as defined under the Chhattisgarh Police Act, 2007 (No. 13 of 2007) and the Chhattisgarh Auxiliary Armed Police Force, Ordinance, 2011 (No. 3 of 2011).

3. **Scope and Application.-** These rules shall apply to every member of the Force.

4. **Constitution of the force.-** The force shall be constituted consisting of the persons appointed under the provisions of the Ordinance. The number of the members of the force shall be determined by the State Government from time to time and every member of the force shall be known as Assistant Constable.

5. **Remuneration etc.-** The members of the force shall be paid remuneration as fixed by the order issued by the State Government from time to time under sub-section (1) of Section 9 of the Ordinance:

Provided that, it shall not be less than Rs. 3500/- (Rs. Three thousand five hundred) per month.

Provided further, that on the basis of above remuneration they shall be paid dearness allowance and Special Naxal Area Allowance as admissible to the Police Executive Force Constable (GD) of the concerned district for the time being in force, as provided under sub-section (1) of Section 9 of the Ordinance. Any other allowances may also be paid to the members of the force as ordered by the State Government from time to time.

6. **Method of Appointment.-** A person may be appointed as the member of the force by selection and screening under the following provisions:-

(a) by selection under provisions of Section 7 of the Ordinance;
(b) by screening under provisions of Section 11 of the Ordinance.

7. **Selection Committee.-** (1) There shall be constituted a selection committee for appointment, under the provisions of Section 7 of the Ordinance, by the Inspector General of Police of the Range concerned as under:

(a) Additional Superintendent of the concerned Police District	- Chairman.
(b) An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police	- Member
(c) An officer not below the rank of Assistant Commandant	- Member

Provided that, at least one member shall be from Chhattisgarh Armed Force.

Provided further, that at least one member of the selection committee shall belong to the Scheduled Tribes.

In case of non-availability of an officer at the level of Additional Superintendent of Police/Deputy Superintendent of Police in the concerned Police District, an officer of equivalent rank from any other unit may be appointed in the Committee.

Inspector General of Police Range may constitute a selection committee different from aforesaid committee, stating reasons by order in writing, in which, different officers from earlier committee, of equivalent rank, may be nominated.

(2) (a) **Eligibility for selection.-** (1) The candidate must be a local resident of the concerned district;

(2) The candidate should have passed class five school certificate examination on the last date of submission of application;

(3) The candidate should not be less than 18 years and above 45 years of age on the last date of submission of application;

(4) The candidate must be aware of local area, topography and must be conversant with the local language/dialect;

(5) The candidate should have good conduct.

(b) **Ineligibility for selection.–** A candidate shall be ineligible for appearing in selection process- (1) If he has been convicted for any offence or against whom criminal proceedings have been instituted in any court;

(2) If he has been found guilty of violation of Human Rights;

(3) If he/she has more than one spouse alive;

(4) A candidate who has been employee of Chhattisgarh Government /Central Government and declared unfit for the Government service.

(c) **Physical qualifications.-** Only those candidates shall be eligible for the appointment to the force who possesses the physical qualifications as prescribed for the appointment as the Police Executive Constable (GD) in the concerned district.

(d) **Committee's decision about the eligibility of the candidates.-** The decision of the Selection Committee with regard to the eligibility or ineligibility of applicant/candidate in respect of admission to the examination shall be final and no applicant/candidate to whom admission card has not been issued by the committee, shall be admitted for appearing in the test.

8. **Selection process.-** (1) **Advertisement and application form-** The Police Headquarter shall issue advertisement in a prescribed format for district-wise selection in the force, keeping in view the vacancy in the force. The candidate shall submit application form, in prescribed format given in the advertisement, to the office of the Superintendent of Police of the concerned district. Giving false information in the application or suppressing any factual information by the candidate shall make him ineligible for selection or for continuation in the force.

(2) **Scrutiny of applications-** Applications received by the stipulated date shall be scrutinised by the Selection Committee.

(3) **Physical measurement-** The physical measurements of the candidates shall be done by the Selection Committee under provision of clause (c) of sub-rule (2) of Rule 7. Sub-committees consisting of officers from the District Police and the Chhattisgarh Armed Force may be formed by the Chairman of the Selection Committee for this purpose, but the Committees shall be fully responsible for valuation, maintaining of records etc.

(4) **Physical efficiency test-** (a) Physical efficiency test is compulsory for all the candidates. Criteria for the Physical efficiency test will be the same as applicable to Police Executive Constable (GD) in the district concerned under provisions of the Chhattisgarh Police Executive Force, Constable (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2007.

(b) The male and female candidates found eligible in physical efficiency test shall have to complete 15 Kms run/walk and 8 Kms run/walk respectively in two hours and only then they will qualify for interview. No seperate marks shall be prescribed for this test.

(5) **Interview-** The Selection Committee shall conduct interview for the candidates successful in the aforesaid physical efficiency test and run/walk test. During the interview, preference shall be given to those having knowledge of local area, topography and local language/dialect etc. The interview will be of 15 marks.

9. **Selection list.-** Selection list shall be prepared on the basis of physical efficiency test (100 marks) and interview (15 marks). The reservation rules applicable to the Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes and Women, for the recruitment on the post of District Executive Constable (GD) shall be adhered to at the time of preparation of the selection list.

10. **Approval of selection list.-** The selection list prepared by the committee shall be forwarded to the Appointing Authority alongwith with all records/

documents. The appointing authority shall consider the list prepared by the committee alongwith other documents received from the committee and unless it considers any change necessary, approve the list. Appointing Authority may cancel the selection list stating reasons by order in writing. Intimation regarding cancellation of select list shall be communicated forthwith to the Police Headquarter.

11. Appointment to the force from the select list.- Final merit list for recruitment shall be prepared on the basis of marks obtained in physical test and interview. Appointment shall be made from the merit list subject to the availability of posts.

Character verification and medical examination of the candidates shall be done before issuance of the appointment order. An appointment order may be issued only after confirming that no adverse remarks are there in the character verification and the candidate is medically fit as per the prescribed criteria. A certificate of appointment shall be issued to a successful candidate by the appointing authority which shall be returned immediately to the unit head if he/she ceases to be the member of the Force.

12. Appointment by screening.- (1) There shall be constituted a screening committee in accordance with the provision of sub-section (2) of Section 11 of the Ordinance, for the purpose of screening of the persons deemed to be members of the force under provision of sub-section (1) of Section 11 of the Ordinance.

(2) The screening committee, while scrutinizing the cases of Special Police Officers for the purpose of assessing their suitability, shall screen, inter-alia, on the basis of following points:-

(a) The eligibility criteria under clause (a) of sub-rule (2) of Rule 7:

Provided that, if a person deemed to be a member of the force does not possess the prescribed educational qualification, i.e. fifth class school certificate, then he shall be imparted elementary education through the specially designed course during the training period as specified under Section 8 of the Ordinance;

(b) Ineligibility criteria specified under clause (b) of sub-rule (2) of Rule 7;

(c) Physical qualifications specified under clause (c) of sub-rule (2) of Rule 7 and clearance in the physical efficiency test as specified under clause (a) and (b) of sub-rule (4) of Rule 8;

(d) Consent letter of the person concerned for continuing as member of the force.

(3) The screening committee shall conduct/complete medical examination and character verification of those persons who have fulfilled requirements mentioned in clause (a) to (d) of sub-rule (2) of Rule 12. The screening committee shall make a list of the persons found fit to be appointed as a member of the force in the order of their seniority. The seniority shall be assessed on the basis of the total length of service rendered as Special Police Officer.

(4) The list prepared by the screening committee shall be forwarded to the appointing authority. The appointing authority shall make appointments from the list in the order in which their names stand in the list.

(5) A person appointed after screening shall be issued an appointment order/ certificate in which it shall be clearly mentioned that his appointment shall be treated as made under the relevant provisions of these rules.

13. Training.- (1) The member of the force appointed under the provisions of the Ordinance shall be imparted six months' training which shall also include practical training. The following subjects, generally, shall be included in the training curriculum:-

(a) important characteristics of the Constitution of India;
(b) general introduction of Fundamental Rights;
(c) general understanding of human behaviour, as individual, as a group and as crowd and behaviour of police towards public;
(d) code of conduct for police;
(e) community policing;
(f) basic knowledge of Human Rights;
(g) basic knowledge of criminal law and procedure;
(h) intelligence/information collection;
(i) selected case studies to stress upon the importance of general courtesy, impartiality and integrity;
(j) knowledge of the instructions relating to the security of Very Important Persons;
(k) role as member of a group during operations;
(l) map reading;
(m) arms training - Specially related to SLR, INSAS and LMG training (training curriculum for different categories of arms will be in accordance with the Chhattisgarh Musketry Regulations);
(n) prevention and control of fire;
(o) relief work during natural or man-made disaster;
(p) unarmed combat;
(q) primary medical aid;
(r) field-craft and tactics.

(2) Such other subjects may be included in the training curriculum as decided by Police Headquarter from time to time, keeping in view the needs of the training.

(3) During training period, elementary education, as mentioned in the proviso to clause (a) of sub-rule (2) of Rule 12, shall be imparted to the concerning members of the force.

(4) If any member of the force has undergone the prescribed training as Special Police Officer, the period of such previous training shall be included in the prescribed training period under these rules.

(5) After appointment, the prescribed training shall be given in the specified training institutions and in other training units. The training period may be extended or he/she may be discharged from the force in case of being unsuccessful in training or being unable to achieve the objectives of training as prescribed from time to time.

14. Posting and control.- The member of the force may be posted in police stations/out posts or police line or security camps and shall work under command and control of such officers as specified by the Superintendent of Police.

15. Uniform and accoutrements.- The members of the force shall wear uniform and accoutrements as specified by the Director General of Police.

16. General conditions of service.– Every member of the force-

(1) shall devote his full time to the force only. He shall not take part in any trade or commerce;

(2) shall sincerely and honestly use his best abilities to perform all his duties as a member of the force;

(3) shall know and comply with all policies, procedure and guidelines that relate to their duties and must comply with any lawful order and reasonable direction given by someone who has authority to give the direction and abide by the provisions of police regulations and all rules, which shall, from time to time, be made for the good order of the Force.

(4) shall serve and reside wherever he may be directed to serve and reside;

(5) shall practise self-discipline in word and deed both on and off duty and must pay respect to seniors, must treat members of the public and colleagues with courtesy;

(6) shall wear, when on duty, such dress and accoutrements as shall, from time to time, be prescribed for every member of the force and shall be always neat and clean in his appearance. Any member of the force shall not appear partly in uniform and partly in mufti;

(7) shall not withdraw himself from the force without specific permission in writing, or (in the absence of such permission) without giving two months previous notice of his intentions to do so;

(8) shall not, on any occasion or under any pretext, directly or indirectly, take or receive any present, gratuity or fee from any person without the sanction of the Superintendent of Police;

(9) shall make every effort to respect and uphold the rights of all people in the community regardless of race, social status or religion and shall perform their official duties and so arrange their private affairs in such a manner that public confidence and trust in the honesty, integrity, objectivity and impartiality of the member of the force are conserved and maintained;

(10) On ceasing to be member of the Force, he shall immediately return all kit and accoutrements, and vacate any quarter which has been allotted to him.

17. Misconduct.– (1) Violation of general conditions of service;
(2) Wilfully disobeying lawful orders/instructions of controlling/supervisory officers;
(3) Indulging in any work that has been termed as misconduct, for member of the force by written order of the Director General of Police.

18. Departmental punishment.- If any member of the force is found guilty of misconduct under Rule 17, the Superintendent of Police may, after giving an opportunity of being heard and for the reasons to be recorded in writing, terminate such member from the Force.

Apart from above, the member of the force shall be liable to such departmental punishment as may be prescribed by order in writing by the Director General of Police.

19. Representation against termination/punishment.– Subject to the provisions of Rule 18, a member of the force may make a representation against order of termination of service or imposition of punishment, in accordance with sub-section (3) of Section 10 of the Ordinance, to the Inspector General of Police Range within 30 days of such order. Inspector General of Police Range shall consider the representation within a period of 60 days and pass appropriate order on the representation made.

20. Maintenance of service books.- The service book of every member of the force shall be maintained in the office of the Superintendent of Police. Superintendent of Police shall maintain the record of service books in the same manner as applicable in the case of Police Constable (GD) of the district.

21. Reward and leave.- The kind and criteria for reward and leave etc. shall be such as specified by the Director General of Police.

22. Appointment in Chhattisgarh District Police/Chhattisgarh Armed Force.- The members of the force shall be eligible for appointment on the post of the District Police Force/Executive Constable (GD) in Chhattisgarh Armed Force, as per available vacancies and in accordance with the provisions of the Chhattisgarh Police Executive Force, Constable (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2007 and the Chhattisgarh Armed Executive Force (CAF), Constable (General Duty) and Trade Constable (Trained/Untrained) Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2008.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
WILLIAM KUJUR, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2011.